निदेशालय पंचायतीराज
उत्तराखण्ड,देहरादून।
संख्या–556-B/1–पं0/स्था0/2018–19,
देहरादून दिनांक 8/6/2018

स्थानान्तरण– आदेश

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12 /XXXVI(3) /2018 / 20 (1)/ 2017, दिनांक 5 जनवरी,2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम– 2017 (संख्या–01,वर्ष 2018) के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर पचांयतराज विभाग,उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वयं के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–3(ग),धारा–17(1)(छः) के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित पदनामित लेखाकार को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ–04 में उल्लिखित स्थल/जनपद में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद का नाम	स्थानान्तरित जिले का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार/स्थानान्तरण से सम्बन्धित धारा स्थानान्तरण की प्रक्रिया
0	02	03	04	05
1	श्री कुलदीप चन्द्र उप्रेती	पिथौरागढ़	बागेश्वर	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा– 6(ग), धारा –17(1) (ख)(छः)/दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्वयं के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।

(2)– उक्तानुसार स्थानान्तरित पदनामित लेखाकार एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। जिला पंचायत राज अधिकारी उक्तानुसार स्थानान्तरित पदनामित लेखाकार को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(3)– उक्तानुसार अवमुक्त होने वाले सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि **(Joining time)** का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरांत मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि **(Journey time)**का ही उपभोग कर सकेगें।

(4)– उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(5)– सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसके विरूद्व वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एच0 सी0 सेमवाल)
निदेशक

संख्या– 555-B/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रस्तुत एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संबंधित कार्मिक द्वारा संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी।
2–संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी।
3–संबंधित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–22(1) के आलोक में इस आशय के साथ कि आदेश प्राप्ति के 07 दिन के पश्चात् उक्त संबंधित स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहरित नही किया जायेगा।
4–संबंधित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
5–संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
6–गार्ड फाईल/व्यक्तिगत पत्रावली।

(एच0 सी0 सेमवाल)
निदेशक